संख्या-20/2025/633ई-2/तेरह-2025-480290

प्रेषक,

दुर्गा सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक:22 मई, 2025

विषय- मेसर्स इण्डिया ग्लाइकाल्स लि., आसवनी गीडा, गोरखपुर में 200 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के अतिरिक्त ग्रेन प्लांट के अन्तर्गत डुअल मोड आधारित 110 कि.ली. प्रतिदिन वाश से एथनॉल/आर.एस./ ई.एन.ए. एवं 90 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के ग्रेन प्लांट से वाश से आर.एस./एथनाल उत्पादन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-13/दो-प्रा.डी.-126/आई.जी.एल, दिनांक 08-05-2025 तथा प्रकरण में दिनांक 16-05-2025 को प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त संख्या:632ई-2/तेरह-2025-480290, दिनांक 22-05-2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 08-05-2025 द्वारा उपलब्ध कराये गये संस्तुति सहित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत निम्नलिखित बिन्दुओं के आलोक में प्रकरण में स्वस्तर से निर्णय लेने हेतु आपको अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(क) आबकारी आयुक्त द्वारा यह सुनिश्चित करने के उपरांत ही प्रकरण में अनुमति प्रदान की जाएगी कि क्या 200 के.एल.पी.डी. क्षमता के प्लांट को इकाई में पूर्व से स्थापित 100 के.एल.पी.डी. क्षमता के प्लांट हेतु निर्मित अल्कोहल रिसीवर के साथ संचालित करना संभव है

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

और ऐसा करने से आबकारी विभाग के तकनीकी मैनुअल में निर्धारित किसी भी तकनीकी/ रासायनिक प्रक्रिया एवं उसके चरणों का उल्लंघन नहीं होगा।

(ख) ऐसे प्रकरणों में इकाई पर लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने के आधार पर संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा-74 में उल्लिखित प्राविधानों के आलोक में नियमानुसार प्रशमन की कार्यवाही आबकारी आयुक्त द्वारा स्वस्तर से सुनिश्चित की जाएगी।

(ग) आबकारी आयुक्त द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इकाई द्वारा दो प्लांटों के लिये एक ही रिसीवर होने की दशा में शीरा एवं ग्रेन से प्राप्त अल्कोहल का आपस में मिश्रण किसी भी स्थिति में न हो।

(घ) आसवनियों की स्थापना एवं क्षमता विस्तार से संबंधित प्रकरणों में आबकारी आयुक्त द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इकाई द्वारा प्रस्तावित क्षमता के सापेक्ष आवश्यक रिसीवर एवं संचय टैंक निर्धारित समय-सीमा के भीतर स्थापित कर लिये जाएं जिससे भविष्य में इस प्रकार के प्रकरणों को प्रोत्साहन न मिले।

(ड.) आबकारी आयुक्त द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी अनुमति प्रदान करने से राज्य सरकार के राजस्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(च) आबकारी आयुक्त यदि मदिरा की आपूर्ति सुचारू रूप से बनाए रखने की अतिआवश्यकता के दृष्टिगत अपरिहार्य परिस्थितियों में उक्त प्रकार की अनुमति दिया जाना उपयुक्त पाते हैं, तो 03 माह हेतु वित्तीय दण्ड अधिरोपित करते हुए आवश्यक अनुमति प्रदान कर सकेंगे। इस अवधि में आसवक द्वारा आवश्यक रूप से शासनादेश के अनुरूप रिसीवर लगाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके पश्चात किसी भी प्रकार की कोई भी अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। प्रश्नगत अनुमति का भविष्य में दृष्टान्त उद्धृत नहीं होगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दुर्गा सिंह)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:20/2025/633(1)ई-2/तेरह-2025, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन ।
(2) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दुर्गा सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।